अभिकरण का पर्यवसान
(Determination of Agency)

मालिक तथा अभिकर्ता के सम्बन्ध निम्नलिखित तरीकों से समाप्त हो जाते हैं:—

1. प्रतिसंहरण द्वारा [धारा 201, 203]

201. *अभिकरण का पर्यवसान.*—अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से, अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार के त्यजन से, अथवा अभिकरण के कारबार के पूरे हो जाने से, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने या विकृतचित्त हो जाने से; अथवा मालिक के किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से हो जाता है।

मालिक अपने अभिकर्ता के प्राधिकार को सूचना देकर समाप्त कर सकता है। इसके बाद अभिकरण समाप्त हो जाता है। धारा 203 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मालिक अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाने के पूर्व प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है। एक लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी को मौखिक रूप से रद्द करने की अनुमति नहीं दी गयी।[1]

इंडेन गैस के वितरण अधिकार के आबंटन के लिये एक करार हुआ। आबंटी ने आबंटन की सभी शर्तें पूरी कर दी थीं। कम्पनी अपना मानक करार पत्र आबंटी को भेजने में असफल रही। यह धारित किया गया कि मानक करार पत्र में वर्णित शर्तों से आबंटी कानूनी रूप से बाध्य नहीं था। इसलिये इन शर्तों की पूर्ति न होने के कारण एजेन्सी की समाप्ति करना उचित नहीं था।[2]

धारा 207 में यह कहा गया है कि प्रतिसंहरण स्पष्ट रूप से या मालिक के आचरण द्वारा हो सकता है।

207. *प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा.*—प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त हो सकेगा अथवा मालिक या अभिकर्ता के अपने-अपने आचरण द्वारा विवक्षित हो सकेगा।

दृष्टांत

क अपना गृह भाड़े पर देने के लिये ख को सशक्त करता है। तत्पश्चात् क स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। यह ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है।

एक कोयले की खान के स्वामी ने सात साल के लिये विक्रय एकाभिकर्ता नियुक्त किया। निर्णीत हुआ कि इस अवधि के पूर्व ही वह अपनी खान को बेच सकता था और इस तरह से अभिकरण समाप्त कर सकता था। अभिकरण को बनाये रखने के लिये उसे अपनी खान को बेचने से रोका नहीं जा सकता था।[3] **लॉर्ड पैंजैन्स** (Lord PENZANCE) ने कहा:[4]

---

1. *अमीना बेगम* ब. *मो. रमज़ान*, AIR 2005 Raj 41; *प्रहलाद* ब. *लद्देनी*, AIR 2007 Raj 166, मुख्तारनामा दाता के जीवनकाल तक ही प्रभावी होता है। दाता के जीवनकाल के बाद मुख्तारनामा द्वारा एक विलेख हस्ताक्षरित किया गया था जिसे समाप्त कर दिया गया।
2. *नीलोफर सिद्दीकी* ब. *इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि.*, AIR 2008 Pat 5
3. *खिला धीश* ब. *मूल चन्द*, (1969) 3 SCC 411, 413-14
4. *रोड्स* ब. *फॉरवुड*, (1876) 1 App Cas 256; *मार्टिन बेकर एयर क्राफ्ट कं.* ब. *कैनेडियन फ्लाइट इक्विपमेंट लि.*, (1955) 2 QB 556: (1955) 2 All ER 722

"जब तक किसी संविदा में ऐसी विशेष शर्तें न हों कि मालिक व्यापार बन्द नहीं करेगा तो यह नहीं कहा जा सकता कि चाहे व्यापार लाभदायक हो या न हो, और चाहे मालिक व्यापार चलाने की इच्छा रखता हो या न रखता हो, वह अभिकर्ता के लाभ के लिये व्यापार बनाये रखने के लिये विवश है।"

इसी प्रकार एक अन्य मामले में एक अभिकर्ता ने जहाज के स्वामी के जहाज को 18 महीने के लिये किराये पर उठाने की संविदा एक तृतीय व्यक्ति से की। मालिक ने जहाज तृतीय व्यक्ति को चार महीने के अन्दर ही बेच दिया। इस कारण अभिकरण भी समाप्त हो गया। अभिकर्ता को जो कमीशन की हानि हुई उसके लिये वह मालिक से क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सका। मालिक उसके फायदे के लिये जहाज अपने पास रखने के लिये बाध्य नहीं था।

एक कमीजें बनाने वाले ने एक अभिकर्ता नियुक्त किया, उसकी कमीजों की कैनवेसिंग यात्राएं करने हेतु, ताकि 5 वर्ष तक वह ऐसा माल बेचता रहे जो उसे विक्रय हेतु भेजा जाए। उसकी फैक्टरी संयोगवश आग के कारण नष्ट हो गई और अभिकरण के अभी 3 वर्ष बाकी थे। मालिक ने अपना कारबार पुनः आरम्भ किया परन्तु अभिकरण को समाप्त कर दिया। उसे उत्तरदायी होना पड़ा क्योंकि अभिकरण एक निश्चित काल के लिए स्थापित हुआ था।[5] जहाँ एक भागीदारी फर्म के विघटन पर भी अभिकर्ता के सम्बन्ध को नयी भागीदारी जो पुराने भागीदार ने स्थापित की थी, मान्यता मिली रही, निर्णीत हुआ कि उस सम्बन्ध को विघटन के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता था और ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी।[6]

अभिकरण का विखण्डन निम्नलिखित शर्तों के पूरे होने पर होता है:

क. *विखण्डन भविष्य के लिये प्रभावशाली हो* [धारा 204]

जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रयोग कर भी लेता है तो भी भविष्य के लिये उसके प्राधिकार को समाप्त किया जा सकता है। परन्तु जो कार्य किये जा चुके हैं और उनके फलस्वरूप जो दायित्व उत्पन्न हो चुके हैं उन पर विखण्डन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिये जिस अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुये स्वामी के लिये माल अपने व्यक्तिगत दायित्व के अन्तर्गत खरीद लिया है, उसके कार्य का विखण्डन नहीं किया जा सकता है। धारा 204 इस प्रकार है:

204. *प्रतिसंहरण जहां कि प्राधिकार का भागतः प्रयोग कर लिया गया है।*—मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार के भागतः प्रयोग के पश्चात् नहीं कर सकता जहां तक कि उस अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का सम्बन्ध हो।

दृष्टांत

(क) ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिये संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें अपने नाम से इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिये वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी हो जाता है। जहां तक कि उस रुई के लिये संदाय करने का सम्बन्ध है ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण क नहीं कर सकता।

---

5. *अमरीक सिंह* ब. *सोहन सिंह*, (1988-1) 93 Punj LR 541; *कमलेश अग्रवाल* ब. *यूनियन ऑफ इन्डिया*, AIR 2003 Delhi 88, राष्ट्रीय बचत योजना संगठन का अभिकरण, अभिकर्ता एक आपराधिक मामले में फंसकर कारावास में होने के कारण अभिकरण का काम नहीं कर पा रहा था। उसके अभिकरण को बन्द कर दिया गया। न्यायालय ने इसे उचित बताया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी तथा कोष के दुरुपयोग की भी शिकायतें थीं।
6. *शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया* ब. *मचादी ब्रदर्स*, 1996 AIHC 3869 Mad

(ख) ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गाठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिये संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गाठें क के नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिये वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी नहीं होता। क उस रुई के संदाय के लिये ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है।

यदि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का आंशिक प्रयोग कर लिया हो तो भी मालिक भावी संव्यवहारों के लिए अभिकरण का विखण्डन कर सकता है। परन्तु ऐसे कार्यों तथा बाध्यताओं के प्रति विखण्डन नहीं हो सकता है जो किए जा चुके हैं। एक अभिकर्ता ने अपने अटार्नी के अधिकार का प्रयोग करते हुए विक्रय-पत्र निष्पादित कर दिए थे और उसके बाद समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा उसका प्राधिकार विखण्डित कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित हुआ कि इस विखण्डन से उस विक्रय-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं आ सकता था जो पहले से निष्पादित हो चुका था और इसलिए उसका रजिस्ट्रीकरण मना नहीं किया जा सकता था।[7]

मालिक द्वारा अभिकरण की समाप्ति करने के बाद भी अभिकर्ता कारबार को चलाता रहता है तो उसमें होने वाले लाभों को मालिक नहीं मांग सकता।[8] अभिकर्ता, विखण्डन के बाद के समय के लिए वेतन नहीं मांग सकता भले ही वह काम करता रहा हो।[9] अनुचित रूप से हटाए जाने के लिए अभिकर्ता प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। वह अपने मालिक को उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करने से रोक भी सकता है यदि संविदा में कोई ऐसा प्रभाव रखने वाला खण्ड हो।[10]

ख. प्रतिसंहरण की सूचना [धारा 206]

206. *प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना.*—ऐसे प्रतिसंहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी होगी, अन्यथा, यथास्थिति, मालिक को या अभिकर्ता को तद्द्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा।

जो अभिकरण निश्चित अवधि के लिये होते हैं उनके प्रतिसंहरण के लिये युक्तियुक्त सूचना देना आवश्यक है। सूचना की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें से एक यह है कि कितनी अवधि के लिये अभिकरण बना रहा है। प्रिवी काउन्सिल के एक वाद में पचास साल पुराने अभिकरण को समाप्त करने के लिये साढ़े तीन महीने की सूचना दी गई। निर्णीत हुआ कि यह युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पिछले पचास वर्षों में बहुत व्यय हुआ था और बहुत बड़ा कारबार स्थापित हो चुका था।[11] न्यायमूर्तियों के विचार के अनुसार दो वर्ष की सूचना पर्याप्त होती। समापन की सूचना तब आवश्यक नहीं होती जब समापन पक्षकारों की सहमति से किया गया हो चाहे अभिकर्ता की नियुक्ति के करार में सूचना आवश्यक बनायी गयी हो। एक वाद के तथ्य यह दर्शित नहीं कर रहे थे कि समापन

---

7. *किशनी देवी* ब. *स्टेट ऑफ राजस्थान*, AIR 1992 Raj 24; *कैलाश* ब. *सब रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेन्सेज इन्दौर*, AIR 1985 MP 12; *कृष्ण गोपाल कटारिया* ब. *स्टेट ऑफ पंजाब*, AIR 1986 P&H 328; *गोस्वामी मातती* ब. *पुरुषोत्तम लाल*, AIR 1984 Cal 297; *नन्द बलभ गुरनानी* ब. *मकबूल बेगम*, (1980) 3 SCC 346; *जे. डी. पाठक* ब. *वी. बी. बेरट*, AIR 1982 Guj 317

8. *हरिहर प्रसाद* ब. *केशव प्रसाद सिंह*, AIR 1950 Pat 68

9. *डेनमार्क प्रोडक्शन्स लि.* ब. *बॉस्कोबेल प्रोडक्शन्स लि.*, (1969) 1 QB 699; *राबर्ट्स* ब. *एलवेल्स इन्जीनियरिंग कं. लि.*, (1972) 2 QB 580; विखण्डन के समय तक का वेतन प्राप्त किया जा सकता है, *मधुसूदन सेन* ब. *राकात चन्द्र दास बसक*, AIR 1916 Cal 698, अगर अभिकर्ता उत्तराधिकारियों के लिए काम करता रहता है तो नया अभिकरण बन जाता है।

10. *डेक्रोवाल इन्टरनेशनल एस. ए.* ब. *प्रैक्टिशनर्स इन मार्केटिंग लि.*, (1971) 1 WLR 361

11. *सोहराबजी* ब. *ओरिएन्टल गवनमेन्ट सिक्योरिटी अश्योरेन्स कं.*, AIR 1946 PC 9 तथा देखें, *ब्राईट ब्रदर्स* ब. *जे. के. सयानी*, AIR 1976 Mad 55, जिसमें अभिकरण 12 साल चला, इसे अन्त करने के लिये कोई प्रतिकर नहीं देना पड़ा।

सहमति से किया गया था और न ही अभिकर्ता ने किसी कर्तव्य या नियम का भंग किया था। निर्णय यह हुआ कि बिना सूचना के समापन गलत था।[12]

ग. *प्रतिकर का दायित्व* [धारा 205]

205. ***मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर.***—**जहां कि यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा हो कि अभिकरण किसी कालावधि के लिये चालू रहना है वहां पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण के किसी पूर्वतन प्रतिसंहरण या त्यजन का प्रतिकर, यथास्थिति, अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा।**

यदि अभिकरण को बिना युक्तियुक्त सूचना के समाप्त किया जाता है तो इससे अभिकर्ता को होने वाली क्षति के लिये मालिक दायी होगा। जब अभिकरण निश्चित अवधि के लिये हो और उसका विखण्डन अवधि समाप्त होने से पहले किया जाय तो क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ती है। अगर प्रतिसंहरण पर्याप्त कारणवश किया गया है तो प्रतिकर नहीं देना पड़ता। एक अभिकर्ता 4000 रु. प्रतिमास कमा रहा था। न्यायालय का विचार था कि उसका अभिकरण समाप्त करने के लिए कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था। 12,000 रु. का प्रतिकर दिलवाया गया।[13]

अत: निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिकर देय नहीं होता:

1. जब अभिकरण किसी निश्चित काल के लिए न हो,
2. जब निश्चित काल के लिये हो, उसे समाप्त करने का युक्तियुक्त नोटिस दे दिया गया हो,
3. जब कोई पर्याप्त कारण हो।

घ. *हितयुक्त अभिकरण* (Agency Coupled with Interest) [धारा 202]

कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनमें अभिकरण विखण्डनीय नहीं होता है। इनमें से प्रमुख स्थिति वह है जिसमें अभिकर्ता अभिकरण की विशेष वस्तु में हित रखता है। धारा 202 में उपबन्धित है कि:

202. ***जहां कि अभिकर्ता का विषयवस्तु में कोई हित हो, वहां अभिकरण का पर्यवसान.***—**जहां कि उस सम्पत्ति में, जो अभिकरण की विषयवस्तु हो, अभिकर्ता का कोई हित हो वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।**

दृष्टांत

(क) ख को क यह प्राधिकार देता है कि वह क की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध्य है। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न क की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है।

(ख) क रुई की 1000 गांठें ख को, जिसने उसे ऐसी रुई पर अग्रिम धन दिया है, परेषित करता है और ख से वांछा करता है कि ख उस रुई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अग्रिम धन की रकम का प्रतिसंदाय कर ले। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और न उसकी उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान होता है।

---

12. *शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया* ब. *मचादी ब्रदर्स*, 1996 AIHC 3869 Mad
13. जे.के. *सयानी* ब. *ब्राइट ब्रदर्स*, AIR 1980 Mad 162; इसके पूर्व, *ब्राइट ब्रदर्स* ब. *जे.के. सयानी*, AIR 1976 Mad 55 में कोई प्रतिकर नहीं दिलवाया गया था क्योंकि निश्चित काल बांधा नहीं गया था, चाहे अभिकरण 1952-1964 तक चलता रहा था।

स्मार्ट ब. सैन्डर्स[14] के प्रख्यात वाद में मुख्य न्यायाधीश वाइल्ड ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में समझाया है:

> पर्याप्त प्रतिफल के साथ की गई संविदा के अन्तर्गत जब वचनग्रहीता के लाभ के लिये उसे कोई प्राधिकार दिया जाता है तो ऐसा प्राधिकार विखण्डनीय नहीं होता है। हितयुक्त प्राधिकार का यही तात्पर्य है और इसे ही अविखण्डनीय कहा जाता है।

ऐसे अभिकरण का सबसे सरल उदाहरण यह है कि मालिक को अभिकर्ता के ऋण का भुगतान करना है और वह उसे प्राधिकार दे कि वह स्वामी का माल बेचकर माल के मूल्य से अपना भुगतान प्राप्त कर ले।[15] परन्तु जब तृतीय पक्ष के ऋण के भुगतान के लिये अभिकर्ता को प्राधिकार दिया जाता है तो वह अविखण्डनीय नहीं होता है।[16] मद्रास उच्च न्यायालय के सामने एक वाद में "तरवाड" नामक अधिकार भी दे दिया गया। निर्णीत हुआ कि यह अधिकार विखण्डनीय नहीं था।[17] इसी उच्च न्यायालय के सामने एक अन्य वाद में वादी द्वारा दिये गये ऋण के बदले में एक देवासन की सभी सम्पत्ति उसे 18 वर्ष के पट्टे पर दी गई और उसको किराया वसूलने का अधिकार भी दिया गया। निर्णीत हुआ कि यह हितयुक्त प्राधिकार था और इसलिये विखण्डनीय नहीं था। यह प्रतीत होता है कि हितयुक्त प्राधिकार ऐसा प्राधिकार है जो अभिकर्ता ने क्रय कर लिया ताकि वह स्वामी द्वारा मिलने वाले ऋण का भुगतान प्राप्त कर सके।[18]

एक संविदा के अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्य करने का प्राधिकार अभिकर्ता को दिया गया था। पालन के साथ-साथ देय होने वाले भुगतान भी उसे प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। यह एक प्रकार का साम्यिक समनुदेशन हो गया था जिसके लिए प्रतिफल दिया गया था और इसलिए इस व्यवस्था को अभिकर्ता के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता था। जो धन काम के साथ देय हो रहा था वह अभिकर्ता का था इसलिए मालिक के ऋणों के लिए कुर्क नहीं किया जा सकता था। केवल वह धन जो प्रतिभूति के रूप में मालिक ने जमा किया था और जो बिलों में से कट रहा था वही केवल मालिक का था और कुर्क किया जा सकता था।[19]

ऐसा अभिकरण मालिक की मृत्यु से भी समाप्त नहीं होता। एक स्वामी अपने अभिकर्ता का ऋणी था। उसने अभिकर्ता को एक स्वीकृतियुक्त विनिमयपत्र दिया और उसमें लेखक का नाम भरने का उसे प्राधिकार दिया। ऐसा करने के पूर्व ही मालिक की मृत्यु हो गई। अभिकर्ता का अधिकार समाप्त नहीं हो गया था।[20] परन्तु यह मामला संदेहजनक है, क्योंकि **वाटसन ब. किंग**[21] में **लॉर्ड ऐलेनबरो** ने कहा था: "किसी मृतक के नाम पर कोई वैध कार्य कैसे किया जा सकता है?" इस निर्णय पर

---

14. (1848) CB 895: 11 LT(OS) 178; पक्षकारों द्वारा अभिकरण को अप्रतिसंहरणीय वर्णन करना अंतिम बात नहीं होती। अभिकरण के लक्षण ऐसे होने चाहिये कि प्रतिसंहरण से अभिकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव आएगा। इस मामले में किराया वसूलने के अधिकार का समनुदेशन होना था और ऐसा समनुदेशन रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और रजिस्ट्री नहीं करवाई गई थी, शून्य था, *कारपोरेशन बैंक ब. ललिथा एच. होला*, AIR 1994 Kant 133
15. *पेस्टनजी ब. माचेट*, (1870) 7 BHC (AC) 10; *सुब्रामणयम ब. नारायणन*, (1901) 24 Mad 130; *सुब्बा राव ब. वरदइया*, AIR 1943 Mad 482, क्रेता को कीमत से बन्धक ऋण चुकाने का प्राधिकार।
16. *क्लर्क ब. लॉरी*, (1857) 115 RR 489
17. *पालियाकोटन ब. कुन्दन अप्पा*, AIR 1932 Mad 70
18. Powell, THE LAW OF AGENCY (2nd Edn., 1961), p. 392
19. *जोसेफ जार्ज ब. कोचीन सेनिटरी वेयर्स*, (1991) 2 Ker LT 447; बुकिंग तथा शिपिंग एजेन्ट के कमीशन द्वारा कमाई को, धारा के प्रयोजन में हित नहीं माना गया *जैंती एक्सपोर्ट्स ब. नटवर पारेख इण्डस्ट्रीज लि.*, AIR 2001 Cal 150 पृ. 153 पर।
20. *कार्टर ब. व्हाईट*, (1883) 2 Ch D 666
21. (1815) 4 Camp 272

टिप्पणी करते हुये पावेल ने कहा है: "यह निर्णय इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि हितयुक्त प्राधिकार एक प्रकार का सम्पत्ति अन्तरण है।"[22] हितयुक्त प्राधिकार स्वामी के दिवालिया हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता।[23]

इस सिद्धान्त की भी कुछ सीमायें हैं। प्रथम, यह है कि अभिकर्ता का हित अभिकरण की स्थापना के समय विद्यमान होना चाहिये। "यह सिद्धान्त तभी लागू होता है जब प्राधिकार प्रतिपूर्ति के रूप में दिया गया हो, यह तब नहीं लागू होता है जब प्राधिकार हित से स्वतन्त्र हो और हित बाद में उत्पन्न हो।"[24] यह वाक्य **स्मार्ट** ब. **सैन्डर्स**[25] के वाद में मिलता है। इस वाद में एक दलाल को विक्रय हेतु माल भेजा गया था और बाद में उसने माल की प्रतिपूर्ति पर मालिक को ऋण दिया। निर्णीत हुआ कि बाद में दिये जाने वाले ऋण से यह प्राधिकार अविखण्डनीय नहीं हो गया था। "यह ऋण संविदा के लिये पर्याप्त प्रतिफल हो सकता है कि अभिकर्ता के प्राधिकार को समाप्त नहीं किया जायेगा। परन्तु ऐसा प्रभाव संविदा से अलग नहीं उत्पन्न होगा।"

द्वितीय, "यह जांच करने के लिये कि प्राधिकार अविखण्डनीय है, यह देखना पड़ता है कि क्या प्राधिकार देने का विशेष उद्देश्य अभिकर्ता के हित की सुरक्षा करना है। यदि मुख्य उद्देश्य मालिक के नाम से प्राप्त डिक्री का भुगतान वसूलना था परन्तु ऐसा करने से अभिकर्ता के हितों को भी स्वाभाविक सुरक्षा मिल रही थी तो प्राधिकार अविखण्डनीय नहीं होगा।"[26] इसी प्रकार कमीशन प्राप्त करने के अधिकार से, जो प्रत्येक अभिकरण में होता है, अभिकरण हितयुक्त नहीं हो जाता है।[27] यह समझौता कि अभिकर्ता की तनख्वाह सम्पत्ति के किराये से दे दी जायेगी, इससे भी अभिकरण हितयुक्त नहीं होता है।[28]

2. अभिकर्ता द्वारा त्यजन [धारा 206]

अभिकर्ता मालिक की भांति अभिकरण का त्यजन कर सकता है। प्रथमत:, यदि अभिकरण निश्चित अवधि के लिये है तो अवधि समाप्त होने के पूर्व त्यजन करने पर अभिकर्ता को, स्वामी को, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी।[29] द्वितीयत:, त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी पड़ेगी। सूचना की अवधि का औचित्य उसी सिद्धान्त के अधीन तय होता है जो मालिक द्वारा विखण्डन पर लागू है। यदि अभिकर्ता बगैर युक्तियुक्त सूचना के परित्याग कर देता है तो इससे होने वाली हानि के लिये स्वामी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

3. कारबार की पूर्ति [धारा 201]

कारबार की पूर्ति होते ही अभिकरण स्वयमेव समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, जिस अभिकर्ता को माल बेचने के लिये रखा गया है उसका अधिकार माल की बिक्री होते ही समाप्त हो जाता है। वह

---

22. THE LAW OF AGENCY (2nd Edn., 1961), p. 388, f.n. 5
23. *अले* ब. *हाटसन*, (1815) 4 Camp 325; *लून करण सेथिया* ब. *स्टेट बैंक ऑफ जयपुर*, (1969) 1 SCR 122: AIR 1969 SC 73
24. *कोनडयिया* ब. *नरसिमाहलू*, (1823) 20 Mad 97
25. उपरोक्त।
26. *पलानी* ब. *कृष्ण स्वामी*, AIR 1946 Mad 9: (1946) ILR Mad 121
27. *लक्ष्मी चन्द* ब. *छोटूराम*, (1900) 24 Bom 403; *भगवान भाई करमन भाई भारवद* ब. *अरोग्य नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि.*, AIR 2003 Guj 294, कुछ भू-स्वामियों ने एक व्यक्ति को अपनी अविखण्डनीय पावर ऑफ अटार्नी अपनी भूमि बेचने के लिये दी थी, उनमें से एक की मृत्यु का यह परिणाम नहीं था कि अभिकर्ता मृतक के उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त करें।
28. *विष्णुचार्या* ब. *रामचन्द्र*, ILR (1881) 5 Bom 253
29. धारा 205

बाद में विक्रय की शर्तों को बदल नहीं सकता।[30] परन्तु इलाहाबाद तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने निर्णीत किया है कि ऐसा अभिकरण बिक्री हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता वरन् अभिकर्ता द्वारा दाम वसूल कर मालिक को भेजने के उद्देश्य के लिये बना रहता है।[31]

4. मृत्यु या विकृत चित्त के कारण [धारा 201]

मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु या उनके पागल होने पर अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है।[32]

किसी कम्पनी का समापन या भागीदारी के विघटन का भी यही परिणाम होता है।[33] मृत्यु के पूर्व अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्य बाध्यकारी रहते हैं। एक अटार्नी अभिकर्ता ने अपने मालिक के लिए एक वकील नियुक्त किया। यह नियुक्ति अभिकर्ता की मृत्यु के बाद भी बनी रहने का प्रभाव रखती थी।[34] परन्तु जो वकील रखा गया था वह कोई कार्य नहीं कर सकता यदि मालिक की मृत्यु हो गई हो।[35] एक मालिक ने अपने अटार्नी को वह दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण हेतु पेश करने के लिए कहा जो उसकी सम्पत्ति के अंतरण के लिए तैयार किए गए थे। अभिकर्ता अभी ऐसा कर ही नहीं पाया था कि मालिक की मृत्यु हो गई। उसके बाद करवाई गई रजिस्ट्री अवैध मानी गई। इस मामले में रजिस्ट्रार को भी ज्ञात था कि मालिक की मृत्यु हो चुकी थी।[36]

5. मालिक के दिवालिया होने पर [धारा 201]

मालिक के दिवालिया हो जाने पर अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है।

6. अवधि समाप्त होने पर [धारा 201]

जिस अभिकर्ता को निश्चित अवधि के लिये रखा जाता है उसकी नियुक्ति-अवधि पूरी होने पर अभिकरण समाप्त हो जाता है भले ही अभिकरण का कारबार न समाप्त हुआ हो।[37]

अवसान के परिणाम (Effects of termination) [धारा 208]

208. ***अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के सम्बन्ध में और कब पर-व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी होता है.***—अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान, जहां तक अभिकर्ता से सम्बन्ध है, उसे उसका ज्ञान होने से पूर्व, अथवा जहां तक पर-व्यक्तियों से सम्बन्ध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व, प्रभावी नहीं होता।

दृष्टांत

(क) ख को क अपनी ओर से माल बेचने का निदेश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर ख को पांच प्रतिशत कमीशन देने का करार करता है। तत्पश्चात् क पत्र द्वारा ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। ख उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात् किन्तु उसकी प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपये में बेच देता है। क इस विक्रय से आबद्ध है और ख पांच रुपये कमीशन का हकदार है।

---

30. *ब्लैकबर्न ब. शोलस*, (1810) 2 Camp 343: 11 RR 723; *वेंकटचलम ब. नारायणन*, (1914) 39 Mad 376
31. *बाबू राम ब. राम दयाल*, (1890) 12 All 541; *फिन्क ब. बलदेव दास*, (1899) 25 Cal 715
32. *केम्पानारी ब. वुडबर्न*, (1854) 15 CB 400; *पूल ब. पूल*, (1889) 58 LJP 67; *यंग ब. टानबी*, (1910) 1 KB 215
33. *साल्टन ब. न्यू ब्रीस्टन साइकिल कं.*, (1900) 1 Ch 43; *ब्रेस ब. काल्डर*, (1895) 2 QB 253; *हेरल्ड फील्डिंग लि. ब. मान्सी*, (1974) 1 All ER 1035
34. *नसीब कौर ब. चनन सिंह*, (1991-1) 99 Punj LR 216
35. *बिजनेस इन्डस्ट्रियल कं. लि. ब. इन्टरकेम कारपोरेशन*, 1970 Current LJ 387
36. *मुजीबुन्निसा ब. अब्दुल रहीम*, (1901) 23 All 233: 28 IA 15
37. *लालजी ब. दादाभाई*, (1915) 23 Cal LJ 190, 202

(ख) क, जो मद्रास में है, पत्र द्वारा अपनी ओर से ख को मुम्बई में एक भाण्डागार में रखी हुई कुछ रुई बेचने का निदेश देता है और तत्पश्चात् पत्र द्वारा उसके विक्रय प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है और ख को उस रुई को मद्रास भेजने का निदेश देता है। ख, दूसरा पत्र पाने के पश्चात् ग के साथ, जिसे पहले पत्र का तो ज्ञान है किन्तु दूसरे का नहीं, उस रुई को उसे बेचने की संविदा करता है। ख को ग उसकी कीमत संदत्त कर देता है और ख उसे लेकर फरार हो जाता है। क के विरुद्ध ग का संदाय प्रभावी है।

(ग) क अपने अभिकर्ता ख को अमुक धनराशि ग को देने का निदेश देता है। क मर जाता है और घ उसकी विल का प्रोबेट लेता है। क की मृत्यु के पश्चात् किन्तु मृत्यु की खबर सुनने से पूर्व ग को ख रुपये संदत्त कर देता है। निष्पादक घ के विरुद्ध यह संदाय प्रभावी है।

जब अभिकरण की समाप्ति मृत्यु के कारण होती है तो यह समाप्ति तभी प्रभावशाली होती है जब अभिकर्ता को मृत्यु का ज्ञान हो जाय।

जहां तक मालिक तथा अभिकर्ता के सम्बन्धों का प्रश्न है अभिकरण उस समय समाप्त हो जाता है जब अभिकर्ता को इसकी सूचना मिल जाय। उदाहरणार्थ, एक अभिकर्ता जिसे माल-विक्रय का प्राधिकार दिया गया, उसके प्राधिकार का विखण्डन किया जाता है। परन्तु ऐसी सूचना पाने से पूर्व ही यदि वह माल बेच देता है तो यह विक्रय वैध है।

जहां तक पर-व्यक्तियों का प्रश्न है अभिकरण तब समाप्त होता है जब उन्हें यह सूचना मिल जाये। मालिक द्वारा अभिकर्ता के अधिकारों का विखण्डन हो जाने के बाद अगर अभिकर्ता माल को बेच देता है तो यह विक्रय मालिक पर बाध्य होगा यदि क्रेता यह न जानता हो कि विक्रय के समय अभिकरण समाप्त कर दिया गया था।[38] अटार्नी द्वारा किया गया सम्पत्ति का उस समय विक्रय जब उसकी शक्ति मालिक द्वारा समाप्त कर दी गई थी बाध्यकारी मानी गयी क्योंकि संव्यवहार के समय क्रेता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी।[39] न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय जो **खातून बीबी अम्माल** ब. **अरूलप्पा नादर**[40] में दिया गया था, उद्धृत किया: "ट्रेड तथा वाणिज्य के हित में जो नीति है वह यह है कि एजेन्ट का कार्य मालिक पर बाध्यकारी है यद्यपि मालिक ने एजेन्ट के प्राधिकार को रद्द कर दिया हो जब तक कि तीसरे पक्षकार को जिसके साथ एजेन्ट ने संविदा की थी उसे एजेन्सी के रद्द किये जाने की सूचना न हो।" न्यायालय ने **टूमेन** ब. **लोडर**[41] के निर्णय का सहारा लिया, जिसमें क ने ख के एजेन्ट के रूप में कुछ व्यापारिक कार्य किये थे सभी पक्षकार जिनके साथ क ने ख की ओर से व्यापारिक व्यवसाय संविदायें की थीं उन्हें ख को दायी ठहराने का अधिकार था और ऐसा अधिकार बना रहता है जब तक ख सारे संसार को सूचित न कर दे कि उसने क के अधिकार का खण्डन कर दिया है। इससे कोई अन्तर नहीं आता कि किसी मामले में अभिकर्त्ता अपनी ही ओर से संविदा कर रहा था। न्यायालय ने इस बात को मंजूर नहीं किया कि यह अयुक्तियुक्त होगा कि किसी मालिक से यह आशा की जाय कि वह सारी दुनिया को सूचित करता रहे

---

38. एक भागीदारी फर्म के विघटन पर भागीदारों का प्राधिकार सार्वजनिक सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं किया गया था और बैंक को विघटन की जानकारी न होने के कारण उसने एक भागीदार से बैंक के प्रति ऋण के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की, यह सभी भागीदारों पर प्रभावी हुई; *असीअम्मा* ब. *स्टेट बैंक ऑफ मैसूर*, (1990) 1 Ker LT 18

39. *काशी राम* ब. *राजकुमार*, AIR 2000 Raj 405; इस प्रकार के दूसरे प्राधिकार हैं *कुलशेखर पटनम हैंड मैच वर्कर्स कोआपरेटिव काटेज इण्डस्ट्रियल सोसाइटी लि.* ब. *राधे लाल रत्नोताल*, AIR 1971 MP 191; *जनार्दन* ब. *गंगाराम*, AIR 1951 Nag 313; *दसरथ* ब. *ब्रिज मोहन*, 22 IC 90; *यूनियन ऑफ इण्डिया* ब. *मोती लाल कामथा*, AIR 1962 Pat 384 (DB)

40. AIR 1970 Mad 76

41. (1840) 11 Add EL 589

और सभी ऐसे व्यक्तियों को जिनके साथ अभिकर्त्ता सम्भावित संविदा कर सकता था, उन सबको पहुँच-पहुँच कर यह बताता रहे कि उसने अभिकर्त्ता का प्राधिकार रद्द कर दिया है।

मालिक की मृत्यु के कारण अभिकरण का पर्यवसान तब होता है जब अभिकर्ता को मृत्यु की जानकारी मिल जाए। एक पत्नी को उसके पति ने प्राधिकार दिया था कि वह एक व्यवहारी से उसके नाम पर माल क्रय करती रहे। उसका पति विकृत चित्त का रोगी हो गया। पत्नी व्यवहारी से माल का क्रय करती ही रही। व्यवहारी को पति के अक्षम हो जाने की जानकारी नहीं थी। पति माल की खरीददारी का भुगतान करने के लिए बाध्य ठहराया गया।[42]

209. ***मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य.***—जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने या उसके विकृतचित्त हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाए तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिये अपने अभूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिये आबद्ध है।

धारा 209 अभिकर्ता का यह कर्तव्य बताती है कि मालिक की मृत्यु या विकृत चित्त हो जाने से वह मालिक के उत्तराधिकारियों के हित में मालिक के ऐसे हित जो उसके सुपुर्द किए गए थे उनको सुरक्षित रखें, अर्थात् उनका संरक्षण और परिरक्षण करे।

210. ***उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान.***—अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान उन सब उपाभिकर्ताओं के, जो उसने नियुक्त किए हों, प्राधिकार का (उन नियमों के अध्यधीन, जो अभिकर्ता के प्राधिकार के पर्यवसान के बारे में एतस्मिन् अन्तर्विष्ट हैं) पर्यवसान कारित कर देता है।

उपाभिकरण का पर्यवसान

जब अभिकर्ता का प्राधिकार समाप्त होता है तो उसके साथ ही उसके द्वारा नियुक्त उपाभिकर्ता का प्राधिकार भी समाप्त हो जाता है।

किसी ठेकेदार को ठेके का आबंटन ऐसा कार्य नहीं है, जो इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिकरण या उपाभिकरण द्वारा सृजित हुआ हो।[43]

---

42. *ड्रयू ब. नन*, (1879) 4 QBD 661; किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्री होना जिसका प्राधिकार खत्म हो चुका था शून्य ठहराया गया, *शेखर मुदलियार ब. शाजाठी बी*, AIR 1987 Mad 239
43. *डालमिया सीमेन्ट (भारत) लि. ब. टी. वी. ऊमेन*, (1987) 1 Ker LJ 534